वित्त निर्देश–15/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 508/163/2003/स्था/चार रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– पेंशन प्रकरणों का निराकरण ।

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 156/23/वित्त/नि/चार/2002, दिनांक 18 मार्च, 2002 द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं । इन निर्देशों का सार यह है कि भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति का विवरण रखते हुए उनके पेंशन प्रकरणों पर इस प्रकार समयबद्ध कार्यवाही की जाए ताकि सेवानिवृत्ति तक पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र जारी हो जायें अर्थात सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए अग्रिम रूप से कार्यवाही की जाए ।

पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन प्रकरणों की तैयारी एवं परिपूर्ण प्रकरण समय से संबंधीत संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को अग्रेषित करने का दायित्व कार्यालय प्रमुख का है । पेंशन कार्य के संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण, नियमों के सरलीकरण एवं शासन के कतिपय अधिकारों के संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित किये जाने के फलस्वरूप पेंशन प्रकरणों पर समयबद्ध प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर निराकृत करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । फिर भी, किसी एक समय प्रदेश में लंबित पेंशन प्रकरणों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह आभास होता है कि स्पष्ट नियमों /शासन निर्देशों के बावजूद लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है । यह भी देखने में आया है कि उक्त ज्ञापन के पैरा–8 अनुसार निर्धारित प्रपत्रों ''अ'' एवं ''ब'' में त्रैमासिक जानकारी अनेक विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही है ।

अतएव वित्त विभाग के उक्त ज्ञापन दिनांक 18.3.2002 द्वारा जारी निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न विवरण अनुसार लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए । सभी विभगाध्यक्षों तथा जिलाध्यक्षों द्वारा क्रमशः उनके विभाग में व जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों की त्रैमासिक समीक्षा की जाकर त्रैमासिक जानकारी भी आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन को नियमित रूप से भेजी जाए ।
संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

(ए.के. विजयवर्गीय)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 509/463/2003/स्था/चार रायपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचान आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।

16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
19. नियंत्रक, शासकीय लेखा सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही.के. राय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग